

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2431/2026****बलराम**

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री विनय कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. सुश्री शिवांगी कपूर, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या-2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिवांगी कपूर, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, सीतापुर द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 165/2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालता सिंह और अन्य) में पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 30.07.2020 को अभिखंडित करने तथा मुकदमा अपराध सं० 196/2018, धारा 452, 504, 506 और 427 भारतीय दंड संहिता, 1860, पुलिस थाना अटरिया, जिला सीतापुर में प्रस्तुत आरोप पत्र दिनांक 05.11.2018 को अभिखंडित करने हेतु दाखिल किया गया है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भ्रान्ति के कारण, वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदकों के विरुद्ध दर्ज की गई है और तत्पश्चात, पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद में समझौता कर लिया है। समझौता विलेख को दिनांक 16.03.2026 को लेखबद्ध किया गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या-6 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक प्रयास है क्योंकि विचारण का कोई परिणाम नहीं निकलना है और यह आवेदकों के उत्पीड़न के समान है और इस प्रकार, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. दूसरी ओर, विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने एक समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध विपक्षीगण की अब कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को पूर्वोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब पक्षकारों ने वास्तव में वाद में समझौता किया है या नहीं, यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सबसे अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते का न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत सत्यापन किया जाना होता है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का **निस्तारण** संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात, समझौते को सत्यापित करने की कार्यवाही करेगा। यदि पूर्वोक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा उस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट के साथ-साथ समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और आवेदकों के लिए कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु पुनः इस न्यायालय में आने का विकल्प खुला रहेगा।

10. तीन माह की अवधि के लिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, सीतापुर द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 165 वर्ष 2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालता सिंह और अन्य) में पारित समन आदेश दिनांक 30.07.2020 और मुकदमा अपराध सं० 196/2018, धारा 452, 504, 506 और 427 भारतीय दंड संहिता, 1860, पुलिस थाना अटरिया, जिला सीतापुर में प्रस्तुत आरोप पत्र दिनांक 05.11.2018 के अनुसरण में प्रारंभ की गई कार्यवाही, जहां तक आवेदकों का संबंध है, स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य का परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में पक्षकार हैं और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, उसकी प्रतिलिपि लेने के पश्चात आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 मार्च, 2026

वी. सिन्हा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।